न्यूज़ लेटर
सेतु
सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef for every child | SPUP | Center for Child protection

मार्च– 2019 • अंक : 14

विशेषांक : बाल तस्करी

निदेशक की कलम से ...

भारत को मानव तस्करी व जबरन श्रम सहित कई उद्देश्यों हेतु पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के लिए ''एक स्रोत, एक गंतव्य स्थान और एक पारगमन देश'' माना जाता है। अक्सर निम्न सामाजिक व आर्थिक वर्ग, पिछड़े समूहों, व जनजातीय समुदायों के लोग मानव तस्करी के सर्वाधिक शिकार होते हैं। वे अक्सर अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों, जैसे शिक्षा व आय की कमी के कारण इस अपराध के शिकार बन जाते हैं।

बाल तस्करी एक विश्वव्यापी तथ्य है और यह बहुत बड़ी संख्या में लड़कों व लड़कियों को प्रभावित करती है। उन्हें विभिन्न प्रकार के कामों में लगाया जाता है, जबरन विवाह, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि में भी धकेला जाता है। बच्चों को कई तरह के शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। तस्करी किए गए बच्चों को अक्सर खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाया जाता है, जैसे चूड़ियाँ बनाना, खनन कार्य, रत्नों की नक्काशी व पॉलिशिंग, कालीन के कारखानों में, बीड़ी के कारखानों में, आतिशबाजी के कारखानों में, ईंट भट्टों में, निर्माण कार्यों में, इत्यादि। इन कार्यों में लगाए हुए बच्चों के रहने की परिस्थितियाँ अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती हैं क्योंकि उन्हें कई बार एक दिन में 15 घंटों से भी ज्यादा, बन्द स्थान पर, लगभग न के बराबर मासिक आय पर काम करना पड़ता है।

इन बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों या परिवार के सदस्यों को उनकी कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर या तो लालच दिया जाता है या समझौता करने के लिए दबाव डाला जाता है। इसके परिणामस्वरूप या तो वे अपने बच्चों को बाल श्रम हेतु बेच देते हैं या फिर उनके लिए बेहतर जीवन के विकल्प की आशा में वे उन परिस्थितियों को अनदेखा कर देते हैं जिनमें बच्चों को अस्वस्थ वातावरण में काम करना होता है। इस मामले के सम्बन्ध में शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता की कमी होने के कारण मानव तस्कर बच्चों का शोषण करते रहते हैं।

सेतु का यह अंक बाल तस्करी के विषय पर प्रकाश डालता है। इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए अभी तक किए गए कई प्रयासों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके लिए और अधिक प्रयासों, सख्त कार्यवाहियों और नीतियों व कानूनों के प्रभावशाली संचालन की प्रबल ज़रूरत है। इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों व विभागों को वांछित दिशा में प्रयास करने के लिए आगे बढ़कर व एकजुट होकर काम करने की अत्यधिक आवश्यकता है। बच्चों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थान विभिन्न पहलुओं पर एक साथ मिलकर काम करें और बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए बनाई गयी कार्यप्रणालियों का संचालन करें। हालांकि विलंब से ही सही, लेकिन बच्चों को सुरक्षित व संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, मानव तस्करी के संकट से निपटने की जरूरत के लिए, एक प्रबल पहल एवं संस्थागत प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। अतः वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अगले स्तर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक हितधारक द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जाने और उन प्रयासों को समेकित किए जाने की अहम जरूरत है। सेतु के इस अंक के माध्यम से सीसीपी, क्षेत्र में कार्यरत अपने अधिकारियों को इस समस्या का एक विवरण प्रदान करना चाहता है ताकि उन्हें इस समस्या की बेहतर समझ हो सके और साथ ही इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

राजीव शर्मा (आईपीएस)
डायरेक्टर, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर

: सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, सेटेलाईट सेंटर, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर

न्यूज लेटर
सेतु
मार्च– 2019 अंक : 14

बाल तस्करी

बाल तस्करी देशभर में व्याप्त एक गंभीर समस्या है और इसे समाज की एक बुराई माना जाता है क्योंकि यह बच्चों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ''संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय'' (UNODC) द्वारा 2012 में जारी की गयी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, 2007 से लेकर 2010 तक मानव तस्करी के जितने भी मामले अधिकृत तौर पर पहचाने गए हैं, उनमें से 27 प्रतिशत बच्चे हैं।[1]

''श्रम'' बाल तस्करी का सबसे आम उद्देश्य माना जाता है। सस्ते श्रमिकों के लालच में बच्चों को कठिन परिस्थितियों में काम पर लगाया जाता है। ऐसी नाजुक उम्र में काम करते हुए बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपना आनंदपूर्ण और सुरक्षित बचपन नहीं जी पाते। बाल श्रमिकों को सुरक्षित परिस्थितियों में जीने से, स्वास्थ्य वर्धक भोजन खाने से, अच्छे कपड़े पहनने से और सुरक्षित आश्रय में रहने से वंचित रहना पड़ता है। जिस वक्त उन्हें भविष्य के लिए संरक्षण में रहने व तैयार होने की जरूरत होती है, उन्हें उस छोटी सी उम्र में ही अपने माता–पिता, भाई–बहनों एवं परिवार के सदस्यों से दूर होना पड़ता है।[2]

मानव तस्करी, जो कि एक प्रकार का संगठित अपराध है, तब होती है जब बच्चे सुरक्षित स्थान पर नहीं होते और उनका शोषण किया जाता है। तस्करी किए गए बच्चों का उपयोग या तो हाथों से काम करने वाले श्रमिकों के रूप में या यौन शोषण के लिए किया जाता है, अन्यथा उन्हें सीधे रूप से रूपयों के लिए बेच दिया जाता है। प्रवासी या प्रवासित किए गए बच्चों की अपने मूलभूत अधिकारों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रहने के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं, संसाधन व अन्य आधारभूत सेवाओं, तक भी कोई पहुंच नही होती। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने मानव तस्करी को दास–प्रथा का एक रूप माना है जिसे समाप्त किए जाने की तुरन्त जरूरत है।[3]

तस्करी के संबंध में भारतीय संविधानिक व कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 (1) मानव तस्करी व जबरन श्रम का निषेध करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाना एक दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए अपने हक के मेहनताने से कम भुगतान पर कोई काम करता है तो उसके द्वारा दी जाने वाले सेवाएं ''जबरन श्रम'' की श्रेणी में आती हैं। इस संबंध में कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं[4]:

- **बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** – इस अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, बच्चा कहलाता है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि बच्चे कैसे, कहां और किन आदर्श परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। यह उन व्यवसायों की रूपरेखा बताता हैं जिनमें बच्चों को रोजगार देना बिलकुल प्रतिबंधित है। कार्यात्मक परिस्थितियों के नियमों को भी इस अधिनियम के तहत विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। समग्र रूप से, यह अधिनियम बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास व स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रोजगारों को संभव बनाता है।[5]
- **बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976** – यह अधिनियम भारतीय समुदायों में व्याप्त बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन की व्यवस्था करता है। यह समुदाय के कमजोर वर्गों के शारीरिक व आर्थिक उत्पीड़न की रोकथाम को ध्यान में रखता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं होता और वह किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी करने के दायित्वों से मुक्त होता है[6]।
- **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956** – व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्यों से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 का प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा है। यह अधिनियम विशिष्ट रूप से वेश्यावृत्ति के अपराधों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को कानूनी प्रावधानों के दायरे में लाने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है।
- **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** – यह अधिनियम आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 370 के धारा 370 व 370। द्वारा विस्थापित किए जाने से प्रभाव में आया है। यह मानव तस्करी व किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिए की जाने वाली बाल तस्करी की समस्या से निपटने के व्यापक उपाय प्रदान करता है। यह किसी भी प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न या यौन शोषण, गुलामी, दासता या अंग–विच्छेदन जैसे कृत्यों को भी कवर करता है।
- **मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) विधेयक, 2018** – महिला व बाल विकास मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक को 26 जुलाई 2018 को पारित किया गया। यह विधेयक सभी तरीकों से तस्करी की जाँच करने के

1. https://www.cry.org/issues-views/child-trafficking
2. https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/events/child-trafficking-awareness
3. https://theirworld.org/explainers/child-trafficking
4. https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm
5. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27803/64848/E86IND01.htm
6 https://labour.gov.in/sites/default/files/TheBondedLabourSystem(Abolition)Act1976.pdf

लिए, और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा व पुनर्वास के नियम स्थापित करता है। यह सभी तीन स्तरों, अर्थात जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर, जाँच व पुनर्वास प्राधिकारियों को स्थापित करने की व्यवस्था करता हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित की गयी तस्करी निरोध इकाईयाँ पीड़ितों का पुनर्वास करेंगी और तस्करी के मामलों की जाँच करेंगी। मुक्त करवाए गए पीड़ितों को पुनर्वास समिति द्वारा देखभाल व पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विधेयक के तहत तस्करी के कुछ उद्देश्यों को ''गंभीर'' माना गया है जिनमें जबरन श्रम, समय–पूर्व यौन परिपक्वता को प्रेरित करना, भिक्षावृत्ति भाामिल हैं। ऐसे ''गंभीर'' मामलों की तस्करी के अपराधों के लिए कठोर दंड के प्रावधान है।

- **लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012** – यह एक विषेश कानून है जो बच्चों की विभिन्न प्रकार के शोषण और उत्पीड़नों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह 14 नवंबर 2012 से प्रभाव में लाया गया है। यह अधिनियम यौन शोषण और उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या करता है जिनमें वेधनीय (पेनीट्रेटिव) व गैर–वेधनीय (नॉन–पेनीट्रेटिव) यौन हमले व उत्पीड़न भी भाामिल हैं।

मानव तस्करी की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत में व्याप्त तस्करी के संकट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं [7]:

- **प्रशासनिक हस्तक्षेप** – राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की गयी तस्करी निरोध इकाईयों व जारी किए गये दिशानिर्देशों (एडवाईसरीज़) के माध्यम से भारत सरकार ने प्रशासनिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2006 में गृह मंत्रालय में तस्करी निरोध नोडल इकाई की स्थापना की गयी। इकाई का उद्देश्य तस्करी संबंधित सभी मामलों के संबंध में लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों के संचार के लिए एक फोकल पाईंट के रूप में कार्य करना एवं राज्य सरकारों की ओर से की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए फॉलो अप करना है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में नामित किए गए तस्करी निरोधी नोडल ऑफीसर्स के साथ समन्वयन मीटिंग्स की जाती हैं। तस्करी के मामलों से अधिक प्रभावशीलता से निपटने के लिए और विधि प्रवर्तन एजेंसियों/अधिकारियों की जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशानिर्देश (एडवाईसरीज़) जारी किए हैं। इन गाईडलाईन्स के लिए इस लिंक का संदर्भ लिया जा सकता है : www.stophumantrafficking-mha.nic.in
- **गृह मंत्रालय की योजना** – मंत्रालय एक व्यापक योजना के अन्तर्गत कानूनी संस्थाओं का सुदृढ़िकरण कर रहा है। देशभर के 270 जिलों में तस्करी निरोध इकाईयाँ स्थापित करने के लिए फंड जारी किए जा चुके हैं।
- **प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन** – विधि प्रवर्तन एजेंसियों व अधिकारियों के मध्य जागरूकता बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में मानव तस्करी से निपटने के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देशभर में, जिला, राज्य व संभाग स्तर पर पुलिस अधिकरियों व अभियोजकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- **न्यायिक अधिकारियों की संवेदनशीलता** – ट्रायल कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के लिए हाई कोर्ट स्तर पर न्यायिक वार्तालाप (जूडिशियल कोलोक्विअम्स) का आयोजन किया जाता है। इन कोलोक्विअम्स का उद्देश्य कोर्ट की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तस्करी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवेदनशील बनाना है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर के रूप में पहचाने गए बच्चों को ''देखभाल व संरक्षण की जरूरत'' वाले बच्चे माना जाता है। इन बच्चों को समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के फायदों के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने किशोर न्याय प्रणाली में बाल श्रमिक के रूप में काम करने वाले बच्चों की आयु की परिभाषा 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का आग्रह किया है। साथ ही, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रकार के संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए ''मानक संचालन प्रक्रियाएं'' (SoPs) भी जारी की गयी हैं। राज्य पुलिस विभिन्न जिलों में सफलतापूर्वक ''बचाव कार्यों'' का संचालन कर रही है। पुलिस विभाग अपने अधिकारियों को बच्चों से संबंधित कानूनों व ''मानक संचालन प्रक्रियाओं'' के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है[8]।

श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा ''बाल व किशोर श्रम (रोकथाम व नियमन) अधिनियम'', 1986 के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु लागू की गयी ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (SoP) के लिए नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.msde.gov.in/assets/images/Notification/Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20for%20Enforcement%20of%20the%20Child%20and%20Adolescent%20Labour%20(Prohibition%20and%20Regulation)%20Act,%201986.pdf

7 https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm
8 Feasibility Study: Combating Child Trafficking and Bonded Labour in Rajasthan, Submitted by Praxis and Partners in Change

न्यूज लेटर
सेतु
मार्च– 2019 अंक : 14

गोपालपुर का एक ज़िम्मेदार युवा

केस स्टडी

गया जिले के शेरघाटी ब्लॉक के गोपालपुर गांव का एक मामला बाल श्रम तस्करी के कटु सत्य पर प्रकाश डालता है। एक सक्रिय शिक्षा-स्वयंसेवक (मुन्ना) ने देखा कि एक महिला उस क्षेत्र में और आस पास में कुछ घरों पर रोज जाती है। अधिक जानकारी इक्कट्ठा करने से और कुछ दिनों तक उस महिला की गतिविधियों पर ध्यान देने से, मुन्ना को अहसास हुआ कि वह महिला बाल श्रम के लिए एक नजदीकी गाँव में बच्चो की तस्करी कर रही थी। तीन बच्चे उस महिला के हाल ही के लक्ष्य थे, जिनके नाम हैं गुड्डू कुमार, पुत्र सूरज माँझी, अखिलेश कुमार, पुत्र कृष्णा माँझी, एवं मुरारी कुमार, पुत्र दिनेश माँझी। इससे पहले कि और देर हो जाती, मुन्ना ने इस बात की रिपोर्ट बाल श्रम उन्मूलन अधिकारी (गया) को दी, जिन्होंने मुन्ना की सहायता से संबंधित बच्चों के परिजनों को बाल तस्करी के खतरे के बारे में और पैसे के लालच में बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने से बचाने के लिए सूचित किए जाने के लिए कदम उठाया। तीन बच्चों को बाल श्रम के रास्ते पर जाने से बचाने के लिए उठाए गए इस छोटे से कदम से मुन्ना ने समुदाय में एक सराहनीय व बहादुरी भरा योगदान दिया। इस तरह से कुछ भी गलत होता देखने पर चुप नहीं रहने का संदेश देते हुए वह हर व्यक्ति के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत बना।

– शारदा सिंह

तिमाही की गतिविधियाँ

नव वर्ष उत्सव

1 जनवरी 2019 को सीसीपी, जयपुर की टीम ने सेठी कॉलोनी, जयपुर स्थित सरकार द्वारा चलाये जा रहे बाल गृह के बच्चों के साथ नव वर्ष उत्सव मनाया। वहां पर 40 बच्चे ऐसे थे जिनको देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता थी और 59 बच्चे ऐसे थे जो कि विधि के साथ संघर्षरत थे। इस उत्सव में बच्चों के द्वारा केक काटा गया और बच्चों को बोर्ड गेम्स, कहानी और शैक्षणिक पुस्तकें वितरित की गईं। टीम ने बच्चों के साथ कुछ गतिविधियों जैसे गायन, कहानी सुनाना, अभिनय आदि का भी आयोजन किया। बच्चों ने स्वेच्छा से इनमें भाग लिया और वे अत्यंत उत्साहित थे।

SJPUs, AHTUs, SPPs के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन ने विशेष किशोर पुलिस इकाईयों, मानव तस्करी निरोध इकाईयों व विशेष लोक अभियोजकों के लिए ''बाल संरक्षण'' विषय पर एक रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (28 फरवरी से 1 मार्च 2019) का आयोजन किया। प्रशिक्षण में राजस्थान के विभिन्न जिलों के 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन में *श्री सुनील दत्त (आईपीएस)*, एडीजीपी–एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व *श्री आर. के. अरोड़ा (डीआईजी–बीएसएफ)*, सह–कॉर्डिनेटर, सेंटर फॉर पीस एंड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज़, ने सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन (एसपीयूपी), जयपुर से बाल संरक्षण पर सर्टीफिकेट कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को और प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को सर्टीफिकेट प्रदान किए। समारोह के अंत में बाल यौन शोषण विषय पर सेंटर द्वारा प्रकाशित की गयी एक चित्रमय हेंडबुक, ''सुरक्षित बचपन'' का अनावरण किया गया।

बाल श्रम पर 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन द्वारा AHTUs , SJPUs, GRPs, CWPOs के लिए ''बाल श्रम व तस्करी के मामलों की रोकथाम, बचाव कार्यों, जाँचों, व पुनर्वास'' विषयों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम (14 से 15 मार्च 2019 तक) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन *श्री निष्काम दिवाकर, डायरेक्टर, डीसीआर,* द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को बाल श्रम से संबंधित विभन्न मुद्दों पर एवं जयपुर को बालश्रम मुक्त करने हेतु बनाई जाने वाली रणनितियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

न्यूज लेटर
सेतु
मार्च– 2019 अंक : 14

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण सत्र

एड्वोकेसी कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में सेंटर के कन्सल्टेंट्स, *शारदा सिंह, अदिति व्यास, प्रवीण सिंह और विजेंदर सिंह,* मानव तस्करी निरोध इकाईयों, विशेष किशोर पुलिस इकाईयों, लोक अभियोजकों व बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों इत्यादि को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करते आ रहे हैं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

मीडिया की दृष्टि में बाल तस्करी

- **राजस्थान और बिहार बाल श्रम को खत्म करने के लिए एकजुट हुए**[9]

  21 जनवरी, 2019–जयपुर : बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक बहु हितधारक पहल की शुरूआत हुई जिसमें मुक्त करवाए गए बच्चों के पुनर्वासन का संकल्प लिया गया। उन्होंने बालश्रम मुक्त वस्तुओं को प्रोत्साहित करने और बाल तस्करी को रोकने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण की अनुपालना करने के लिए भी समझौता किया। दोनों राज्यों की सरकारों व नागरिक समाज समूहों ने इस पहल को सहयोग देने के लिए अपनी सहमति दी। बिहार राज्य से कारखानों और ''घरों में'' स्थापित निर्माण/उत्पादन इकाईयों के लिए होने वाली बाल तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाहियाँ की जाएंगी। बिहार में संबंधित सहभागी अधिकारीगण पीड़ित बच्चों की बहाली और पुनर्वास का ध्यान रखेंगे और उन्हें अपने हक का मुआवजा व शिक्षा दिलवाना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही वे नियमित रूप से फॉलो–अप करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चे दोबारा तस्करी के शिकार न बनें। इस पहल के सहभागी (पार्टनर्स), राज्य की राजधानी में बाल श्रम के मूलभूत कारणों व इसके परिमाण की पहचान करेंगे।

- **राजस्थान : दो महीनों में 40 बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाया गया**[10]

  04 मार्च, 2019–अजमेर : पिछले 2 महीनों में 40 बच्चों को बंधुआ मजदूरी और भिखारी बनाने वाले गिरोह से मुक्त करवाया जा चुका है। डीएलएसए सचिव ने बताया कि पुलिस व कल्याण विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं और बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन ''खुशी'' के माध्यम से बच्चों को भिक्षावृत्ति व बाल मजदूरी से मुक्त करवाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मुक्त करवाए जाने के बाद उनकी गहरी व सक्रीय निगरानी भी की जानी चाहिए ताकि वे इस चंगुल में वापस न फंस सकें।

बालश्रमिकों का पुनर्वास

166 बच्चों की घर वापसी, ट्रेन में बैठते ही खिले चेहरे

कारखानों से छूटने के बाद चार माह से रह रहे थे बालगृहों में

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. चार माह से राजधानी के बालगृहों में रह रहे मासूम बच्चों की आखिरकार बुधवार को घर वापसी हो गई। जयपुर जंक्शन से बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस से 166 बच्चों को छह सदस्यीय टीम के साथ रवाना किया गया। ट्रेन में बैठते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। जिला कलक्टर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष जगरूप सिंह, बाल कल्याण समिति जयपुर के अध्यक्ष व सदस्य व अन्य अधिकारियों ने बच्चों को रवाना किया। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 जवानों भी भेजे गए हैं। टीम के प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अश्विनी शर्मा ने बताया कि बालश्रमिकों के उचित पुनर्वास व सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ दिलाने के लिए सभी बच्चों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल भी कर दिया गया है। ये रिकॉर्ड बिहार सरकार के श्रम विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने अक्टूबर में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। जिसमें कारखानों से मुक्त करवाए गए बच्चे बालगृहों में रहकर घर वापसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव व कुंभ मेले के कारण बच्चे घर नहीं जा पाए थे।

पत्रिका Thu, 24 January 2019 epaper.patrika.com/c/36869111

- **स्कूल असेंबली (सभा) में बच्चों को यौन शोषण के बारे में संवेदनशील बनाना : डीसीपीसीआर**[11]

  12 फरवरी, 2019–नई दिल्ली : बाल यौन शोषण से संबंधित दर्ज हुई शिकायतों के विश्लेषण के अनुसार आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पिछले दो सालों में दर्ज हुए कुल मामलों में से 11 प्रतिशत मामलों में या तो अपराध का स्थान बच्चों का स्कूल था या अपराधी स्कूल से संबंधित ही कोई व्यक्ति था। ''दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग'' (डीसीपीसीआर) ने राज्य सरकार के समक्ष यह गुहार की है कि शहर के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों एवं स्कूल के स्टॉफ में बाल यौन शोषण संबंधित जागरूकता का प्रसार करने के लिए कहा जाए। आयोग की जानकारी में यह भी आया है कि लगभग 70: मामलों में अपराधी पीड़ित का जानकार था। आयोग ने शिक्षा विभाग से भी बाल यौन शोषण, व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे व बुरे स्पर्श, आदि जैसे विषयों पर सप्ताह में एक बार, स्कूल प्रार्थना सभाओं में गतिविधियाँ आयोजित करने का आग्रह किया है, ताकि बच्चों को आत्मविश्वास व आत्मसुरक्षा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

9 https://www.thehindu.com/news/national/other-states/rajasthan-bihar-join-hands-to-eradicate-child-labour/article26045448.ece
10 https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/40-children-rescued-in-last-two-months-from- bonded-labour/articleshow/68247497.cms
11 https://www.hindustantimes.com/education/sensitise-kids-on-sexual-abuse-in-school-assembly-dcpcr/story-A8jNu21ZverIUnDjXsN3zI.html

न्यूज लेटर
सेतु
मार्च– 2019 अंक : 14

सारगर्भित विचार

यदि हमारे बेटे और बेटियों की तस्करी की जा रही है तो क्या यह पूरी मानवता के लिए एक खतरे की घंटी नहीं है?

बाल संरक्षण व इससे संबंधित अपराधों के क्षेत्र से जुड़े होने के नाते, हम में से अधिकतर ने स्वयं से यह स्वाल जरूर पूछे होंगे:

यह समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है?

क्या कमी रह रही है?

और क्या किया जाना चाहिए?

मेरी समझ में उत्तर हमेशा यही रहा है कि मुद्दे के प्रति हम गम्भीर हों और समस्या को खत्म करने का हम संकल्प लें। मानव तस्करी अकेला एक ऐसा अपराध है जो बाहर से चमचमाता दिखाई देता है। यह सोने के कवर में लिपटी हुई एक कड़वी मिठाई है जो पीड़ितों को लुभाने का काम करती है। बाहर से पीड़ितों को रूपयों, विलासिता, अच्छी जीवनशैली आदि का लालच दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पीड़ित इसमें फंस जाता है अंधेरे और शोषण की वास्तविकता खुलती दिखाई देने लगती है।

इसलिए, जरूरत इस बात की है कि मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण बदला जाए और इसकी गंभीरता को समझा जाए, साथ ही बच्चों के लिए व उनके साथ काम करने की सुगमता के लिए हुनर प्राप्त किया जाए।

लेकिन, इन सबके बावजूद कुछ प्रश्न फिर भी खड़े होते हैं–

हम बाल तस्करी के बारे में कितने गंभीर हैं?

एक समाज के तौर पर हम कितनी गंभीरता से इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं?

हमें एक बार कुछ ऐसा करना होगा कि हम इन प्रश्नों के जवाब देने की स्थिति में हों, हम देख पाएं कि इस जघन्य अपराध से लड़ने के लिए उठाए गए हमारे छोटे छोटे कदमों के कारण एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे महफूज़ और संरक्षित महसूस कर पाएंगे।

अन्त में श्री दीपक तेरैया (राष्ट्रीय प्रशिक्षक, बाल मनोविज्ञान) का एक विचार–

''प्रक्रिया बदलो तो परिणाम बदल जाएगा''। अर्थात, जिस समय हम अलग तरीके से कुछ करने का सोचेंगे, परिणाम या नतीजा अनिवार्य रूप से बदल ही जाएगा। अब निर्णय हमारा अपना है।

– पूजा मेहता

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

एडवाईज़री बोर्ड

डॉ. राजीव गुप्ता
प्रोफेसर (रिटायर्ड), राजस्थान विश्वविद्यालय व अध्यक्ष, सीसीपी एडवाईज़री बोर्ड

डॉ. संजय निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

डॉ. मंजू सिंह
विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग, वनस्थली विश्वविद्यालय

श्री बिस्वा रंजन पटनायक
वरिष्ठ सलाहकार–सीसीपी

श्री राधाकान्त सक्सेना
आईजी कारवास (रिटायरर्ड)

संपादक
अदिति व्यास
कन्सल्टेंट–रिसर्च एंड डॉक्युमेंटेशन, सीसीपी जयपुर

योगदान व सहयोग
सीसीपी टीम

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।

सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाईट देखें:

http://www.centreforchildprotection.org

आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : 91 8619672924

हम अपने पाठकों से भी आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : writetoccpjaipur@gmail.com

Newsletter

Setu

Dedicated to Child Protection
by Centre for Child Protection (CCP)

unicef for every child | SPUP | Center for Child protection

March 2019 • Edition 14

Theme : Child Trafficking

From The

Director's Desk

India is considered as "a source, a destination and a country of transit for men, women and children for various purposes, including sex trafficking and forced labour. Often, the most vulnerable people to get trafficked are those belonging to the low social & economic strata, minority groups, members of tribal communities, etc. They are often the ones to fall prey to the ill because of adverse circumstances, such as lack of education and income.

Trafficking of children as a worldwide phenomenon, affects a large number of girls and boys. They are likely to be engaged in work, used for forced marriage, prostitution, beggary, etc. These children undergo various forms of exploitation, abuse and violence. The trafficked children are often made to work in hazardous industries, such as bangle making, mining, gem stone cutting & polishing, carpet factories, bidi factories, firework factories, brick kilns, construction sites, etc. The living conditions could be extremely vulnerable as the children are at times made to work for more than 15 hours a day, in confined spaces, with absolutely no or a meagre monthly income. Other than using as cheap labour, the trafficked children are also used for beggary.

The parents / guardians or the family members of these children are either lured or forced to compromise due to their poor socio-economic status. This results in selling of their children or ignore the circumstances in which they work in unhealthy environment in hope of better livelihood options. The traffickers continue to exploit them as there is lack of education, knowledge and awareness on this issue.

This issue of SETU elaborates on the subject of child trafficking. Despite varied efforts to combat the issue, concern remains the same. This calls for more efforts, stringent action, effective implementation of policies and laws. There is a greater need for collaboration of various organizations and departments working in this domain to come forward and join hands to contribute to making efforts in the desired direction. Children cannot be left in a vulnerable state and hence, there is an increased need for convergence of various initiatives & institutions working in this domain and implementing the mechanisms designed for the safety and security of children. However, of late there is invisible urge and recognition of need to eradicate the menace of trafficking for providing children with a safe and secure environment. Thus, everyone needs to take the efforts to the next level by putting up best efforts by each stakeholder and consolidating them to achieve desired objectives. Through this issue of SETU, the CCP intends to provide an overview of the problem to our officers working in the field for their better appreciation of problem and to encourage them to deliver their best in this social cause.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection, Jaipur.

Child Trafficking

Child trafficking is prevalent across the country and is considered as an ill in the society as it has a negative impact on the lives of the children. The 2012 Global Report released by the United Nations Office on Drug & Crime on Trafficking states that among all the officially identified victims of trafficking between the year 2007 and 2010, 27 percent are children[1].

The most common purpose of child trafficking is labour. In the lure of cheap labour, children are hired and employed in difficult conditions. Working at such a tender age deprives them of their basic rights and above all, a joyful and safe childhood. Child labourers are denied of living in safe conditions, to eat healthy food, good clothing and a safe place of shelter. They get separated from their parents, siblings and family at a young age when they need to be protected and groomed for the future[2].

Trafficking, a serious form of organized crime, happens when children are not in a place of safety and are exploited. The trafficked children are either used as manual labourers, for sexual exploitation or are simply sold for money. The children who migrate or are migrated, do not get access to their basic rights such as health facilities, education, reasonably good infrastructure, resources and the like basic services. The International Labour Organization (ILO) considers trafficking as a form of slavery that needs to be eradicated urgently[3].

Indian Constitutional and Legislative Provisions Related to Trafficking

The Article 23 (1) of The Constitution of India prohibits the trafficking of human beings and forced labour. The contravention of any kind of this provision shall be a punishable offence in accordance with the law. Under article 23 of the Constitution of India, when a person works for somebody for renumeration which is less than the minimum wage that he is entitled to, the service provided by him comes under the ambit of 'forced labour'. Following are the legal provisions in this regard[4]:

- **Child & Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986-** The Act defines a child as any person who has not attained the age of fourteen years. It highlights where and how the children can work and about the ideal working conditions for the children. It outlines the occupations in which the employment of children must be prohibited. The regulations of the working conditions are also specifically defined in the Act. At large, the Act provides for safe employment of children ensuring their physical and mental wellbeing [5].
- **Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976-** This Act provides for the abolition of the practice of bonded labour, which is prevalent in the Indian society. It keeps in view to prevent the physical and economic exploitation of the weaker sections of the society. Under the provisions of this Act, the child is freed from all his debts and is discharged from obligations to render any bonded labour [6].
- **The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956-** The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 is provisioned for prevention of trafficking for commercial sexual exploitation. Under this Act, any person below the age of eighteen years is a child. The Act specifically intends to safeguard from the crime of prostitution and the legal provisions for the guilty.
- **Criminal Law (Amendment) Act, 2013-** This act has come into force as Section 370 and Section 370A IPC have substituted Section 370 of the IPC (Indian Penal Code). This provides for comprehensive measures to deal

1 https://www.cry.org/issues-views/child-trafficking
2 https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/events/child-trafficking-awareness
3 https://theirworld.org/explainers/child-trafficking
4 https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm
5 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27803/64848/E86IND01.htm
6 https://labour.gov.in/sites/default/files/TheBondedLabourSystem(Abolition)Act1976.pdf

with human trafficking which is inclusive of trafficking of children for exploitation in any form. It also covers physical exploitation or any form of sexual exploitation, servitude, slavery or forced organ removal.

- **The trafficking of persons (Prevention, Protection & Rehabilitation) Bill, 2018-** The Bill introduced in the Lok Sabha by the Minister, Women and Child Development which was passed on July 26, 2018, creates a law for investigation of trafficking in all of its forms, and the rescue, protection and rehabilitation of victims of trafficking. It provides establishing investigation and rehabilitation authorities at all the three levels viz District, State and National level. The Anti-Trafficking Units set up under this constitutional provision, will rescue the victims and investigate the cases of trafficking. Care and rehabilitation services will be provided to the rescued victims by the Rehabilitation Committee. Under the Bill, certain purposes of trafficking have been classified as 'Aggravated' which includes trafficking for forced labour, inducing early sexual maturity and begging. Trafficking in such 'aggravated' forms attracts more severe punishment[7].
- **The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012-** This is a special law which protects children from different forms of abuse and exploitation. It had come into force on 14th November, 2012. The Act precisely defines different forms of sexual exploitation and abuse, including penetrative and non-penetrative sexual assault and harassment.

Measures taken by The Government of India for Prevention of Human Trafficking

The Ministry of Home Affairs, Government of India, has taken up some measures for dealing with the much prevailing issue of trafficking which are as under[8] :

- **Administrative Interventions-** The Anti-Trafficking Cell and advisories to the States/ UTs have been the administrative measures taken up the Government of India. Anti-Trafficking Nodal Unit was established in the Ministry of Human Affairs in the year 2006. The objective of the unit is to act as a focal point of all trafficking related cases for the communications about various decisions taken and the follow up action on the part of the State Governments, is carried out. Coordination meetings with the Nodal officers of the Anti-Trafficking Units which have been nominated in the States and UTs are done. The MHA has also issued advisories to all the States and UTs for dealing with the trafficking cases more effectively and for increased responsiveness of the law enforcement agencies/ personnel. These guidelines may be referred to through the link: www.stophumantrafficking-mha.nic.in
- **Ministry of Home Affair's Scheme-** The Ministry is strengthening the responses from legal entities under a comprehensive scheme. Fund for the establishment of Anti-Trafficking Unit has been released for 270 districts, Nationally.
- **Training and Capacity Building-** In an effort to generate awareness among the law enforcement personnel and agencies, Training of Trainers (ToTs) are being organized to educate on combating the trafficking of humans. The Police officers and Prosecutors have been trained at District, State and Regional level, throughout the country.
- **Sensitisation of Judicial Officers-** At the High Court level, judicial colloquiums are held for the trial court judicial officers. These colloquiums are aimed at sensitizing the concerned officials on various issues pertaining to trafficking and for the speedy court procedures.

State Government's Response on Child Labour

The children identified as child labour or bonded labour are known as children in need of care and protection. These children should be entitled to the benefits of the Integrated Child Protection Scheme. The Rajasthan Government also made its approach to increase the age definition of the children working as child labour in the Juvenile Justice system from 14 to 18 years. Also, SoPs have been issued which specify the roles and responsibilities of different

7 https://www.prsindia.org/billtrack/trafficking-persons-prevention-protection-and-rehabilitation-bill-2018
8 https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm

kind of organizations working in the domain of child protection. The state police are successfully running rescue operations in different districts. The police are training their personnel about the laws concerning children and SoPs rolled in this regard[9].

The SoP by the Ministry of Labour and Employment for enforcement of The Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 may be referred to through the following link:

https://www.msde.gov.in/assets/images/Notification/Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20for%20Enforcement%20of%20the%20Child%20and%20Adolescent%20Labour%20(Prohibition%20and%20Regulation)%20Act,%201986.pdf

The Good Samaritan of Gopalpur

A Case Study

A case in Gopalpur, Village of Sherghati block, Gaya Dist. highlights the harsh truth surrounding child labor trafficking. An active Edu-volunteer (Munna) started noticing a woman who regularly visited certain houses in and around the area. After finding details of the woman and tracking her movements and activities for few days, Munna realized that she was trafficking children to be child laborers to be sent to nearby villages. The current victims of this woman were three children, Guddu Kumar, son of Suraj Manhji, Akhilesh Kumar, son of Krishna Manjhi and Murari Kumar son of Dinesh Manjhi. However, before it was too late, Munna reported this to the Child Labor Prevention Officer(at Gaya), who with Munna's help, took the initiative to talk to the concerned children's parents informing them of the hazards of child trafficking and the futility of discarding their children's futures all for the greed for money. Through the small act of stopping three children going down the path of child labour. Munna contributed to society in a beautiful and brave way. He has thereafter become an inspiration for everyone, to speak up when we see wrong unfolding.

- Sharda Singh

Activities of the Quarter

New Year Celebration

Team CCP, Jaipur celebrated New years' day on 01st January, 2019 with the children in Government run children's home at Sethi Colony, Jaipur. There were 40 children who were in need of care and protection and 59 of those who were in conflict with law. Cake cutting was done, story books & educational books were distributed to the children along with board games. The team had also organized some activities with the children like singing competition, storytelling, enactment, etc. The children performed voluntarily and were quite excited.

03 Day Training Programme for SJPUs, AHTUs & SPPs

Centre for Child Protection conducted a range level training programme (28th Feb-01st March, 2019) for Special Juvenile Police Units, Anti Human Trafficking Units and Special Public Prosecutors on 'Child Protection' witnessing participation of 47 trainees from different districts of Rajasthan. On the last day, ***Shri Sunil Dutt (IPS), ADGP***-Anti Human Trafficking and ***Shri R.K. Arora (DIG-BSF),*** Co-ordinator: Centre for Peace & Conflict Studies, distributed the certificates to the candidates who had successfully completed the Certificate course in child protection from Centre for Child Protection (SPUP), Jaipur and to the training participants. The ceremony was followed by unveiling of a pictorial handbook on child sexual abuse published by the centre, titled "Surakshit Bachpan".

9 Feasibility Study: Combating Child Trafficking and Bonded Labour in Rajasthan, Submitted by Praxis and Partners in Change

02 Day Training Programme on Child Labour

Two-day in-house training programme was organized by the Centre for Child Protection (14th-15th March, 2019) for AHTUs , SJPUs, GRPs, & CWPOs on Prevention Rescue, Investigation, Rehabilitation of Child Labour & Trafficking Cases. The programme was inaugurated by ***Shri Nishkam Diwakar, Director, DCR.*** Participants were trained on various issues concerning child labour and strategies to make Jaipur child labour free.

Training sessions at Rajasthan Police Academy, Jaipur

As part of the advocacy drive, the Consultants from the centre, ***Ms. Sharda Singh, Ms. Aditi Vyas, Mr. Praveen Singh*** and ***Mr. Vijender Singh*** have been training the officials from Anti Human Trafficking Units, Special Juvenile Police Units, Public Prosecutors and Child Welfare Police Officers among others in various training programmes at Rajasthan Police Academy, Jaipur and generating awareness on the issues related to children.

Child Trafficking Through the Media Lens

- ***Rajasthan, Bihar to Join Hands to Eradicate Child Labour***[10]

  Jan 21, 2019- Jaipur: A multi stakeholder initiative launched for the eradication of child labour, has taken a resolve to rehabilitate the rescued children. They have also agreed to follow a collective approach to promote child labour free goods and stop trafficking of children. The Governments of both the states and civil society groups have agreed upon to support the initiative. A joint action will be taken to stop trafficking of children from the state of Bihar in the factories and 'at-home' setups of manufacturing / production units. In Bihar, the concerned partner officials will look after the recovery and rehabilitation of the victimized children, ensuring the compensation they are entitled to, education and regular follow-up so as to ensure that they do not get trafficked again. The partners of this initiative would identify the root causes and extent of child labour in the state capital.

- ***Rajasthan: 40 Children Rescued in Last Two Months from Bonded Labour***[11]

  March 04, 2019- Ajmer: In the last two months, 40 children have been rescued from bonded labour and racket of begging. The Secretary, DLASA stated that the Police and welfare department is working and they are being monitored to bring awareness about child labour and begging. He added that it is not sufficient to rescue children through operation 'Khushi' from begging and child labour but those children, also must be monitored closely and actively so they do not get trapped in it again.

- ***Sensitise Kids on Sexual Abuse in School Assembly: DCPCR***[12]

  Feb 12, 2019- New Delhi: As per the analysis of the complaints related to child sexual abuse received, the commission has concluded that in as high as 11% of the total cases registered in the last two years, either the place of crime

बालश्रमिकों का पुनर्वास

166 बच्चों की घर वापसी, ट्रेन में बैठते ही खिले चेहरे

कारखानों से छूटने के बाद चार माह से रह रहे थे बालगृहों में

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

जयपुर. चार माह से राजधानी के बालगृहों में रह रहे मासूम बच्चों को आखिरकार बुधवार को घर वापसी हो गई। जयपुर जंक्शन से बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस में 166 बच्चों को छह सदस्यीय टीम के साथ रवाना किया गया। ट्रेन में बैठते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। जिला कलक्टर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष जगरूप सिंह, बाल कल्याण समिति जयपुर के अध्यक्ष व सदस्य व अन्य अधिकारियों ने बच्चों को रवाना किया। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 चालानी गार्ड भी भेजे गए हैं। टीम के प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अधिकारी शर्मा ने बताया कि बालश्रमिकों के उचित पुनर्वास व सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ दिलाने के लिए सभी बच्चों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल भी कर दिया गया है। ये रिकॉर्ड बिहार सरकार के श्रम विभाग व समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने अक्टूबर में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। जिसमें कारखानों से मुक्त करवाए गए बच्चे बालगृहों में रहकर घर वापसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव व कुंभ मेले के कारण बच्चे कई घर नहीं जा पाए थे।

पत्रिका Thu, 24 January 2019 epaper.patrika.com/c/36869111

10 https://www.thehindu.com/news/national/other-states/rajasthan-bihar-join-hands-to-eradicate-child-labour/article26045448.ece
11 https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/40-children-rescued-in-last-two-months-from- bonded-labour/articleshow/68247497.cms
12 https://www.hindustantimes.com/education/sensitise-kids-on-sexual-abuse-in-school-assembly-dcpcr/story-A8jNu21ZverIUnDjXsN3zI.html

had been the children's school or the offender was someone from the school. An urge has been made to the state government by the Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) to ask all city schools to spread awareness on child sexual abuse among the students and the school staff in the morning assembly. It also came to the notice of the Commission that in approximately 70% of the cases, the offender was known to the victim. with an objective to encourage children, to make them feel confident and learn self-defence, the commission has also urged the Department of Education to conduct activities on issues such as child sexual abuse, personal safety, good touch bad touch, etc. at least once a week in the morning assembly in school.

FOOD FOR THOUGHT

While of our sons and daughters are Trafficked, Is Humanity as a whole not at stake?

Being in the field of Child protection and related crimes, many of us must have asked ourselves
Why is it not getting resolved?
What is missing?
What can be done differently?
I guess, to me the answer has always been our Seriousness towards the issue and our resolve to get rid of it.
Trafficking is the only crime with a shimmery exterior. It is a bitter candy wrapped in a golden paper, which makes the victim more susceptible. From the outside, it lures its victim with money, luxury, lifestyle, but as the victim is trapped, the reality of darkness /abuse starts to unfold.
Therefore, what is required is the change of perspective towards the issue and realising its gravity and at the same time also acquiring of skillset to ease our engagement with children.
But the questions still stands' -
How serious are we about Child trafficking?
How badly do we want to end this practise as a society?
Cause once we are in a position to answer these questions, we will see that our small acts of fight against this heinous crime will finally lead to a day when our children will be safe n protected.
In the end to quote Mr. Deepak Teraiya (National Trainer, Child Psychology) –
"Prakriya Badlo to Parinaam Badal Jayega". (Change in process will lead to change in results).The moment we decide to do things differently, the result or the outcomes will inevitably change. 'The choice lies with us.

- Pooja Mehta

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

Advisory Board:

Dr. Rajeev Gupta
Professor (Retd.), Rajasthan University
Chairperson, CCP Advisory Board
Dr. Sanjay Nirala
Child Protection Specialist, UNICEF

Dr. Manju Singh
Head, Deptt. of Sociology
Banasthali University
Mr. Biswa Ranjan Patnaik
Sr. Consultant-CCP

Mr. Radhakant Saxena
IG Prisons (Retd.)

Editor
Ms. Aditi Vyas
Consultant-Research & Documentation, CCP Jaipur

Contribution & Support
CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues.
To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website:
http://www.centreforchildprotection.org
Feel free to contact us at: +91 8619672924
We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers. Please send your contributions to:
writetoccpjaipur@gmail.com